डॉ0 एस0 एस0 सन्धू, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 24.05.2022 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री ए0एस0 चौहान, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री दीपेन्द्र चौधरी, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. सुश्री झरना कामठान, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास/समाज कम्याण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री ओमकार सिंह, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. डॉ0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. डॉ0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. डॉ0 समीर सिन्हा, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

13. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. श्री जी0एस0 पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक का शुभारम्भ करते हुए संचालन समिति की षष्ठम बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा संचालन समिति व अन्य समितियों के सम्बन्ध में CAF ACT, 2016 की विभिन्न धाराओं के अनुसार गठित अन्य समितियों की सदस्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संचालन समिति की षष्ठम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

<u>कार्यसूची संचालन समिति **6.1:**</u>

<u>दिनांक 05.04.2021 को सम्पन्न हुई पंचम संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 05.04.2021 को आयोजित संचालन समिति की पंचम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची संचालन समिति **6.2:** वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु स्वीकृत व अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 हेतु भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित `95080.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष कुल `72688.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई थी। उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा `44000.00 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में बजट के माध्यम से प्राप्त एन0पी0वी मद में `4000 लाख की धनराशि, अध्यक्ष संचालन समिति से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वर्ष 2021–22 की स्वीकृत

वार्षिक कार्ययोजना के उसी मद में उपयोग किये जाने हेतु उपलब्ध थी । उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि व उसके विरूद्ध व्यय की घटकवार प्रगति निम्नानुसार समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई :–

घटक का नाम	स्वीकृत ए0पी0ओ0 2021–22	अवमुक्त धनराशि	व्यय	व्यय %
क्षतिपूरक वनीकरण	8346.69	5247.28	4721.74	90
कैट प्लान	10959.85	5311.97	4427.05	83
अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां	2479.34	1500.00	731.36	49
एन0पी0वी0	47951.74	30271.12	26781.24	88
अर्जित ब्याज	2950.00	1107.33	890.93	80
योग	72687.62	43437.70	37552.32	86

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा तत्पश्चात वर्ष 2021–22 में क्रियान्वित की गई मुख्य गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया तथा अध्यक्ष महोदय व अन्य सदस्यगणों के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में चाही गई अन्य जानकारियों से अवगत कराया गया।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.3: वर्ष 2022–23 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा, कार्यकारी समिति की दिनांक 04 अप्रैल, 2022 को सम्पन्न अष्ठम बैठक में कुल 41898.12 लाख की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृत की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि `लाख में)

वचनबद्व गतिविधियां			एन0पी0वी0 (NPV)	अर्जित ब्याज (Interest)	कुल योग
क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	अन्य विशिष्ट कार्य (OTHERS)	कैट प्लान (CAT)			
5184.00	1461.19	4934.69	28918.24	1400	41898.12

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु कार्यकारी समिति के स्तर से संस्तुत वार्षिक कार्ययोजना का विस्तृत व मदवार विवरण संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संचालन समिति द्वारा इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा गहन

विचारोपरान्त कार्ययोजना के अंतर्गत कतिपय गतिविधियों में आंशिक संशोधन उपरान्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। कतिपय संशोधनों के साथ वर्ष 2022–23 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना₹41898.12 लाख का, गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC WORKS					
A-COMPENSATORY AFFORESTATION					
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	CA-Advance Soil Works @ 1100 pits/ha	ha	2200	1952.00
2		CA-Plantation @ 1100 plants/ha	ha	3000	1082.00
3		CA-Plantation Maintenance	ha	11471.48	1500.00
4		CA-Nursery Raising	No.	4000000	450.00
5		CA- Nursery Maintenance	No.	8253026	200.00
		SUB TOTAL (A)			**5184.00**
B-CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN					
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved DPR	Plantation - 851 Ha., ASW-137 Ha. SMC Works-5867 Nos, Contour Trench-642.72 Ha., Wildlife Mgt & other livelihood related works	840.64
2		Lata Tapovan HEP			322.16
3		Singoli Bhatwari HEP			270.01
4		Phatta Byung HEP			137.03
5		Srinagar HEP			108.92
6		Vyasi HEP			282.88
7		Lakhwar HEP			1037.07
8		Vishungad Pipalkoti HEP			921.94
9		CAT PMU			98.50
10		Mori Naitwar HEP			460.01
11		Jamrani HEP			346.92
12		Khutani HEP			108.61
		SUB TOTAL (B)			**4934.69**
C	**OTHER 'SPECIFIED' WORKS/CONDITIONS (As per Section 6(a) of CAF Act 2016)**				
1	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Road Side Plantation(RSP)-ASW	**ha**	**18.55**	43.34
2		RSP-Plantations	**ha**	**152.08**	269.94
3		RSP-Plantation Maintenance	**ha**	**270.86**	87.80
		Sub-Total			**401.08**

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
4	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Gap Filling Plantation(GF)-ASW	ha	2.49	4.81
5		GF-Plantations	ha	107.62	166.27
6		GF-Plantation Maintenance	ha	11724.17	27.99
7		GF-Nursery Maintenance	nos.	58472.00	3.69
		Sub-Total			**202.76**
8	Section 6(a) of CAF Act, 2016	Dwarf Species Plantation (DSP)-ASW	ha	12.47	8.69
9		DSP-Plantations	ha	129.91	59.20
10		DSP-Plantation Maintenance	ha	106.71	13.44
11		DSP- Nursery Raising	nos.	8217.00	0.74
12		DSP-Nursery Maintenance	nos.	91560.00	4.78
		Sub-Total			**86.85**
13	Section 6(a) of CAF Act, 2016	River Training Works	Nos.	Kosi , Dabka , Song, Gola river	770.50
		SUB TOTAL			**1461.19**
	TOTAL (Site Specific Works)				**11579.88**
		F - NET PRESENT VALUE (NPV)			
ACTIVITIES AS PER RULE 5(2) OF CAF RULES, 2018 - MINIMUM 80% OF NPV					
		ANR & PLANTATION ACTIVITIES			
1	Rule 5(2)(a)	Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	1905	1071.69
		Sub Total			**1071.69**
	Rule 5(2)(b)	**Plantations under NPV (Oak, Deodar, others)**			
2		Plantations	ha	280	89.21
3		Advance Soil Work (ASW)	ha	698.4	603.56
4		Plantation Maintenance	ha	978.5	139.64
5		Nursery Development (Garhwal & Kumoun Region	Nos.	4	471.47
6		Nursery Maintenance	Nos.	245055	251.43
		Sub Total			**1555.31**
7	Rule 5(2)(b)	Community Plantations and Mobilization during Harela / Van Mahotsav	Nos.	104690	104.69
8	Rule 5(2)(b)	Other/Mixed Plantations under NPV	ha	1136.6	775.54
9	Rule 5(2)(g)	Treatment of **Critically Polluted River Stretches** (Hon. NGT OA 673/2018-More river stretches are now critically polluted) - Bhela, Dhela, Suswa, Pilakhar, Nandhaur,	Nos.	7	600.00

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
		Kalyani & Treatment of degraded forest watersheds (Gagaas) using LIDAR technology.			
		Sub-Total (NGT 673)			**600.00**
10	Rule 5(2)(g)	Restoration of water bodies, ponds, plantations and artificial wetlands in **Ganga Flood Plain Zones** as per directions of Hon. NGT in OA no. 200/2014			
i		**Plantations in flood Plain Zone**			
a.		Advance Soil Work (ASW)	ha	174.5	54.42
		Sub-Total			**54.42**
ii		Treatment works - check dams	Nos.	1475	334.27
		Sub-Total			**334.27**
11	Rule 5(2)(g)	**Conservation & development of wetlands as per directions of Hon. NGT in OA no. 325/2015 (wetlands existing in forest areas of Uttarakhand)**			
i		Plantations	ha	24	9.40
ii		Treatment works - cleaning etc.	Nos.	5	1.09
iii		Treatment works - check dams in catchment	Nos.	1035	144.50
iv		Treatment works - contour trenches in catchment	ha	5	15.71
v		Treatment works - percolation pits in catchment	ha	50	12.50
		Sub-Total			**183.20**
12	Rule 5(2)(b)	Plantations under Namami Gange Project	ha	1400	1210.28
13	Rule 5(2)(b)	Plantation in Urban Areas / Establishment of City forests	nos.	1	50.00
					5939.40
P					
14	Rule 5(2)(d)	**Protection of Bugyals / Alpine Meadows**	Nos./ha	1530	378.00
		Sub-Total		**1530**	**378.00**
15	Rule 5(2)(f)	**Forest Fire Prevention and Control**			
i		Forest Fire Management	fire figting tools, crew station, control	4245	929.18

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
			room maint., fire watchers, , hiring of vehicles etc.		
ii		Upgradation of State Level Forest Fire Control Room to **'Integrated Forest Fire Control and Command Centre'**	No.	1	300.00
		Sub-Total			**1229.18**
		Total Forest Protection			**1607.18**
		SOIL & WATER CONSERVATION			
16	Rule 5(2)(g)	**Soil and Water Conservation Works**			
i		Preparation of DTR for treatment and management of natural springs	Nos.	40	200
ii		Springshed Management as per SMC and Rejuvenation of Rivers	Nos.	150	2172.3
iii		Plantation for Soil conservation	ha	500	500
iv		Preparation and Implementation of **'State level Land Slide Treatment Plan'**	No.	Identified Divisions	500
					3372.30
		WILDLIFE MANAGEMENT			
17	Rule 5(2)(i)	**Habitat Improvement**			
i		Eradication of Lantana & other invasive species and plantation of grassland	ha	7387	1454.04
ii		Maintenance - Eradication of Lantana & other invasive species - Year 1, 2 & 3	ha	12852	1405.89
		Sub-Total			**2859.93**
18	Rule 5(2)(k)	**Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals;**			
i		Construction of Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre (Corbett TR & Lansdowne FD)	Nos.	2	287.39
ii		Construction of Monkey rescue centres (Kedarnath WLD, Terai East FD) and Maintenance of Haridwar & Almora Centres.	Nos.	4	300.00

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
iii		Monkey Catching from urban / rural habitations and releasing in remote forest areas, Sterilization, post surgery care etc.	Nos.	50000	754.80
iv		Food for wild animals kept at the rescue centres	No. of res. centres	3	100.00
		Sub-Total			**1442.19**
19	Rule 5(2)(d)	**Human Wildlife Conflict Management**			
i		Solar / Electrict Fencing over forest boundaries	km	133.55	411.62
ii		Elephant proof Trenches	km	96.86	419.13
iii		Elephant /wildboar proof protection wall at critical boudaries	km	12.63	330.27
		Maintenance of protection wall	km	29.84	271.58
		Sub-Total			**1432.60**
20	Rule 5(2)(d)	EDC / Village Protection Force (entry point activities, microplanning etc.)	No. of EDCs	101	156.00
21	Rule 5(2)(d)	Strengthening of VVWPF to Task Force on Human Wildlife Conflict Mitigation	No.	277	80.25
22	Rule 5(2)(d)	Anti Poaching Activities	Nos.	288	240.80
23	Rule 5(2)(m)	Estimation of Wildlife Populations	No. of Species	LS	193.00
24	Rule 5(2)(d)	Equiment for forest and Wildlife Protection	No. of Equipment	411	126.20
25	Rule 5(2)(d)	Construction of water holes to create drinking water facility for wild animals	No. of water holes	285	179.00
26	Rule 5(2)(i)	Pasture/ Chaur Development incl maintenance	ha	1327.7	148.55
27	Rule 5(2)(d)	Development of Wildlife Tracking Technology, Radio Collaring	Nos.	LS	16.00
		Sub-Total			**1139.80**
Total Wildlife Management					**6874.52**
28	**STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS**				
i	Rule 5(2)(a)	A.N.R in Van Panchayats	ha	648.4	384.58
ii	Rule 5(2)(d)	Creation of Boundary Pillars in VP	Nos.	1141	58.99
iii	Rule 5(2)(d)	Survey & Demarcation in VP's	ha	267.02	5.4
iv	Rule 5(2)(i)	Management of invasive species in VP's	ha	68.8	17.27
v	Rule 5(2)(g)	Soil & Water Conservation Works in	Nos.	1860	414.48

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
		VP			
vi	Rule 5(2)(d)	Extension and Awareness Programes / Exposure Visits	No. of Participants	204	32.85
vii	Rule 5(2)(d)	prepration of Sahat Prabandh Yojna and Microplan	Nos.	341	47.62
viii	Rule 5(2)(d)	Publication and Training Material in VP's	Nos.	As per plan	12.75
ix	Rule 5(2)(d)	Strategic Planning & Strengthening of Van Panchayats	No.	1	11.5
x	Rule 5(2)(d)	Workshops and Training in VP's (Village, district and state level trainings/workshops)	Nos.	1082	70.55
		Sub-Total			**1055.99**
		Pasture / Fodder Development in Van Panchayats			
xi	Rule 5(2)(b)	Pasture /Fodder Development - ASW	ha	512	417.6
xii		Pasture /Fodder Development - Plantation	ha	149	47.16
xiii		Pasture /Fodder Development - Maintenance	ha	576	67.47
xiv		Pasture /Fodder Development - Nursery Raising	Nos.	62000	7.56
		Sub-Total			**539.79**
		Plantations in Van Panchayats			
xvi	Rule 5(2)(b)	VP Plantation - ASW	ha	363	321.62
xvii		VP Plantation - Plantation	ha	335	122.77
xvii		VP Plantation - Maintenance	ha	585.5	74.41
xviii		VP Plantation - Nursery Raising	ha	178000	17.8
xviiii		VP Plantation - Nursery Maintenance	ha	165000	6.72
		Sub-Total			**543.32**
xx	Rule 5(2)(f)	Fire Protection Activities in VP's	Nos.	110	148.98
xxi	Rule 5(2)(d)	Other Misc activities (IGP, livelihood, HWC etc.)	No	As per plan	70.4
Total (Strengthening of Van Panchayats)					**2358.48**
29	Rule 5(2)(m)	Eco tourism related activities	Nos.	8	173.00
30		Provisioning of Biodiversity Conservation	No. of Projects	1	90.00
		Sub-Total			**263.00**
31	Rule 5(2)(c)	**Forestry & Wildlife Research**			
i		Collaborative Research	No. of Projects	12	241.70
ii		Modern seed storage facility for	No. of	4	27.00

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
		important nursaries	Projects		
iii		Demonstration plots & trails of need based initiatives	ha	92.48	187.00
iv		Development of nursery techniques	No. of Projects	6	22.00
v		Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	ha	18.9	64.50
vi		Strengthening of Research Cell & Upgradation of laboratory	Nos.	17	210.50
		Sub-Total (Research)			**752.70**
32	**Additional Proposals proposed:-**				
i	Rule 5(2)m	Management of Walking Trails for Conservation Awareness	Nos.	In various Forest Divisions	1000
ii	Rule 5(2)m	Establishment of Snow LeopardConservation Centre in Uttarkashi FD	Nos.	1	482
iii	Rule 5(2)l	Provision for wood saving devices,Solar Lights, Solar Lamps in forestfringe villages	Nos.	Identified Villages	500
		Sub Total of Add. Proposals			**1982.00**
		TOTAL - Min. 80% (Rule 5(2)) - 80.05%	80.05		**23149.58**
ACTIVITIES AS PER RULE 5(3) OF CAF RULES, 2018 - UPTO 20% OF NPV					
33	Rule 5(3)	**Trainings, Workshops & Capacity Building**			
i		Strengthening of Training Institutes	Nos.	3	20.30
ii		Trainings & Capacity Building	Nos.	309	184.65
		Total (Trainings)			**204.95**
34	Rule 5(3)(g)	**Survery & Demarcation**			
i		Survery and Demarcation of forest boundaries (digitization of forest boundaries)	Nos.	Identified Divisions/ Blocks	500.00
		Total (Survey)			**500.00**
35	Rule 5(3)(e)	Building Construction for Frontline Staff	Nos.	95	2460.24
36	Rule 5(3)(e)	Repair of office/residence of front line staff	Nos.	249	431.50
		Sub-Total			**2891.74**
37	Rule 5(3)(d)	Construction of watch towers (installation of prefabricated structures only)	Nos.	27	182.08

S. No.	Relevant Act/Rule	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5	6
38	Rule 5(3)(d)	Construction of high altitude patrolling shelters	Nos.	11	131.00
39	Rule 5(3)(d)	Modernization of forest barriers	Nos.	59	198.00
		Sub-Total (Construction)			**511.08**
40	Rule 5(3)(d)	Repair of forest roads / bridle paths	Km	3722.17	1158.72
41	Rule 5(3)(c)	Communication & Information Technology	1 No.	Software licence fees, lease line charges etc,	68.48
42	Rule 5(3)(i)	Publicity, awareness and extension	Nos	Trainings/ workshops etc.	300.00
43	Rule 5(3)(d)	Maintenance of Fire Lines	km	4627.91	133.69
		Sub-Total			**1660.89**
		TOTAL - Upto 20% (Rule 5(3)) - 19.95%			**5768.66**
		Total NPV under Rule 5(2)+5(3)	19.95		**28918.24**
		G - CAMPA INTEREST COMPONENT			
1	Rule 6(a)(vi)	Monitoring and Evaluation of CAMPA works	No.	1	400.00
2	Rule 6(a)(iv), (v); 6(b)(i), (ii), (iii), (iv), (v)	CAMPA Office Management	No.	1	400.00
3	Rule 6(b)(vi)	CAMPA State authority office building construction	No.	1	400.00
4	Rule 6(a)(ii)	Incremental Cost of CAT plans	No.	1	100.00
5	Rule 6(a)(i)	Incremental Cost of Compensatory Afforestation	No.	1	100.00
		Total in CAMPA Interest Component			**1400.00**
		GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)			**41898.12**

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित कार्ययोजना की विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया :–

1. प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 में प्राविधानित एकीकृत वन चौकियों के निर्माण के साथ–साथ महिला स्टाफ की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड वन विभाग को निर्देशित किया गया कि आने वाले समय में नव नियुक्त व विशेषकर महिला कार्मिकों के स्थानान्तरण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस

स्थान पर इनका स्थानान्तरण किया जा रहा हो, वहां एकीकृत वन चौकियों के समान सुविधाएं उपलब्ध हों एवं महिला सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

2. पहाड़ी क्षेत्रों में वनाग्नि से सुरक्षा की दृष्टि से चीड़ पिरूल के एकत्रीकरण व इसके व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग को निर्देश दिए कि किसी अनुभवी वनाधिकारी को नामित करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिससे इस दिशा में प्रभावी व ठोस परिणाम प्राप्त हो सकें।
3. बैठक में यह भी प्रकाश में आया कि पूर्व के वर्षों में बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के अंतर्गत जियो जूट तकनीक से सम्पादित कार्यों की सार्थक पहल की गई है। जियो जूट तकनीक के Biodegradable होने के दृष्टिगत बुग्याल जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में मृदा संरक्षण के लिए यह उपयुक्त हैं। अतः इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्ययोजना में बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के अंतर्गत कार्यों को जियो जूट तकनीक आधारित ही सम्पादित किया जाए। इसके लिए प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के स्तर से सम्बन्धित वन प्रभागों हेतु पृथक से स्थायी आदेश भी निर्गत किया जाए।
4. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को स्प्रिंगशेड मैनेजमेन्ट की डी0पी0आर0 अनुसार ही सम्पादित किया जाए। इसके लिए उनके स्तर से क्षेत्रीय प्रभागों को निर्देश जारी किए गये हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि उक्त वार्षिक कार्ययोजना में मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के स्तर से निर्गत निर्देशानुसार स्प्रिंगशेड मैनेजमेन्ट कंर्सोसियम के आधार पर ही सम्पन्न कराया जाए।
5. प्रदेश में ईको–टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग को निर्देश दिये गये कि मुख्य वन संरक्षक, ईको–टूरिज्म, उत्तराखण्ड के स्तर से ईको–टूरिज्म विकास सम्बन्धी गतिविधियों हेतु उनके समक्ष पृथक से एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया जाए। उनके द्वारा वन विभाग, उत्तराखण्ड को यह भी निर्देशित किया गया कि ईको–टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में भी विभाग के स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।
6. प्रदेश में वनाग्नि की प्रभावी रोकथाम के विश्व स्तरीय सम्भावित उपायों को सम्मिलित करते हुए एक आधुनिक Centre of Excellence की स्थापना की जाए। उक्त केन्द्र में विषय विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएं। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से उपस्थित अपर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा समिति को

अवगत कराया गया कि इस प्रकार का एक Centre of Excellence वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून में केन्द्र सरकार के स्तर से एफ0आर0आई0 एवं एफ0एस0आई0 के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में और जानकारी जुटाई जाए तथा यदि उत्तराखण्ड वन विभाग को भी इसमें योगदान की अनुमति होगी तो प्रदेश की ओर से इसमें समुचित योगदान दिया जाए। अन्यथा की दशा में विभाग की ओर से इस दिशा में पहल की जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वनाग्नि सुरक्षा व वानिकी सम्बन्धी अन्य गतिविधियों के योजनाबद्ध क्रियान्वयन में सूक्ष्म आकार के Sattelite के प्रदेश हित में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में वन विभाग को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में ISRO से सम्पर्क स्थापित कर इसकी उपयोगिता explore की जाये।

7. प्रदेश में अधिकांश भूभाग वनों के अंतर्गत होने के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, वन को निर्देशित किया गया कि ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से 75 तालाबों के निर्माण व संरक्षण से सम्बन्धित योजना में वन विभाग को सम्मिलित करने हेतु यथोचित निर्णय लिया जाए।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.4: वन अनुसंधान संस्थान (FRI) द्वारा किये गये तृतीय पक्ष अनुश्रवण, मूल्यांकन की रिपोर्ट</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों के तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के प्रथम चरण का कार्य वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून द्वारा पूर्ण कर इसकी अन्तिम रिपोर्ट उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध करा दी गई है। इसमें उनके द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। बैठक में उपस्थित सदस्यगणों को मूल्यांकन रिपोर्ट की Main Finding, Observations व Recommendations से अवगत कराया गया। सदस्य सचिव द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि मूल्यांकन रिपोर्ट सम्बन्धित वन प्रभागों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मूल्यांकन रिपोर्ट में उजागर कमियों का निवारण व अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष 2018–19 से अग्रेत्तर वर्षों हेतु तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के दृष्टिगत वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून से प्रस्ताव प्राप्त किया गया है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि वन अनुसन्धान संस्थान के स्तर पर यह

सुनिश्चित कर लिया जाए कि मूल्यांकन टीम में खुले बाजार से, सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाए। कैम्पा की मॉनीटरिंग और सुदृढ़ किए जाने हेतु एफ0आर0आई0 के साथ–साथ विकल्प के रूप में अन्य स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकता है। समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों के अनुश्रवण के दृष्टिगत इनके संकेतांक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गये कि कैम्पा कार्यों की ई–ग्रीन वॉच से ऑनलाइन मॉनीटरिंग के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में कैम्पा के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की जाए। विभाग में वृक्षारोपण व अन्य गतिविधियों के अनुश्रवण के अतिरिक्त अवैधानिक गतिविधियों पर दृष्टि रखे जाने हेतु भी नवीनतम गूगल इमेजरी का उपयोग किया जाए। इस हेतु यदि साफ्टवेयर क्रय की आवश्यकता हो तो विभाग द्वारा इस पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक टीम विशेष रूप से नियुक्त की जाए, जिससे आवश्यकतानुसार वर्तमान एवं पुराने फोटोग्राफ्स एवं विभिन्न अवधियों में साइट्स पर किए गये कार्यो की तुलनात्मक स्थिति का भी विश्लेषण किया जा सके।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020–21 की बैलेंस शीट एवं वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष वर्ष 2020–21 की बैलेंस शीट एवं वार्षिक रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.6: वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट की स्थिति</u>

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक की ऑडिट रिपोर्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। ए.जी. द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की ऑडिट रिपोर्ट Action Taken Report सहित उत्तराखण्ड शासन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित की गई है। शासन द्वारा इसे आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के लेखा प्रमाणीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने के अनुरोध के साथ महालेखाकार कार्यालय को उत्तराखण्ड कैम्पा की बैलेंस शीट उपलब्ध करा दी गयी है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि

कार्यसूची संचालन समिति 6.7: राज्य प्राधिकरण (कैम्पा) प्रबन्धन सम्बन्धी समस्त व्यय को कार्यकारी समिति की अष्ठम बैठक (8th) में प्राप्त संस्तुति के क्रम में पूर्व व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में

समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के सुचारू सम्पादन के दृष्टिगत कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि अर्जित ब्याज के अंतर्गत कैम्पा प्रबंधन, एवं कैम्पा स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि से संबंधित व्यय उत्तरखण्ड कैम्पा के स्तर पर शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष पूर्व व्यवस्था अनुसार ही किया जाये। फील्ड सम्बन्धी अन्य कार्य शासन के निर्देशानुसार बजटीय/कोषागार के माध्यम से सम्पादित किए जाएं। समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं परियोजना के सुचारू संचालन के दृष्टिगत सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ0 एस0एस0 सन्धू)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 111 /संचा0स0(6) दिनांक, देहरादून, 26 मई, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव–कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव/सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
10. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(जी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–111 (1)/संचा0स0(6), उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(जी.एस. पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।